न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा R.A.S

राजस्व वाद संख्या 62/2016

वादी

जावेद खान पुत्र श्री याकुब जाति कायमखानी (मुस्लिम) निवासी कुचामन सिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लिछमा पत्नि रोशन अली
2. मौहम्मद शफी
3. अयुब
4. सहाबुदीन
5. महबुब
6. चांद
7. बाबु
8. रफीक पिसरान रोशन अली
9. सलीम
10. रज्जाक,
11. पप्पू उर्फ उमर शेख
12. मुन्ना पिसरान स्व. लाल मौहम्मद
13. शौकत अली
14. रूस्तम अली
15. फारूक पिसरान यासीन अली
16. अलादेई पत्नि बफाती
17. नूरमोहम्मद पुत्र बफाती
18. मस्तान पुत्र कालू
19. सरीफन पत्नि कालू
20. नूरहसन
21. नसरूद्दीन
22. रमजान
23. अजीज
24. हाजी
25. याकुब
26. जावेद पिसरान कालू
27. मंगतुद्दीन
28. इस्लामुद्दीन
29. रहीम,
30. न्याज मौहम्मद पिसरान सुबराती उक्त सभी की जाति मुस्लिम (ईलाया–शेख) निवासीगण ईलायो का मोहल्ला कुचामन सिटी
31. मुमताज,
32. मदीना पुत्रिया सुबराती उक्त दोनो प्रतिवादी 31 व 32 की जाति मुस्लिम (ईलाया–शेख) निवासीगण क्रमशः बोरावड़, डीडवाना जिला नागौर
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी
34. हल्का पटवारी पटवार मण्डल जिलिया
35. श्रीमान उपजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामन सिटी
36. शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया शाखा जिलिया

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

37. मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. लाल मोहम्मद जाति मुस्लिम (ईलाया–शेख) कुचामन सिटी
38. सरवर पुत्र स्व. कालू जाति मुस्लिम (ईलाया–शेख) कुचामन सिटी

दावा वास्ते घोषणा करने भू विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री राजेश गुर्जर एवं श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रति.की ओर से

निर्णय

दिनॉक :– 11/2/17

वादी की तरफ से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जिलिया तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.0100 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.6200 हैक्टर पूर्ववर्ती सहखातेदारान अभिधारी फकीरा ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा 2.29 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 19 से 26 अपने हक हिस्से में से रकबा 1.03 हैक्टर के खातेदारी अधिकार पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये अन्तरित कर दिये है, उक्तानुसार वादी का उक्त सम्पूर्ण 20.62 हैक्टर कृषि भूमि में कुल 3.32 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार व कब्जा निहीत है। वादी को पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये बेची गयी कृषि भूमि उक्त आराजी मे सहखातेदार अभिधारी प्रतिवादी संख्या 18 से लगायत 26 का शेष हिस्सा 1.26 हैक्टर है, प्रतिवादी 16 व 17 अल्लादेई एवं नूरमोहम्मद का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार रकबा 6.87 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 27 से लगायत 32 का उक्त आराजी में 1/9 भाग होने से रकबा 2.29 हैक्टर हिस्से में आती है, प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 8 तथा सहखातेदार लाल मोहम्मद जिसका देहान्त हो चुका है इसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 से लगायत 12 एवं प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 15 तक का इस आराजी मे सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अनुसार शेष 6.87 हैक्टर आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी अधिकारो की अविभाजित कृषि भूमि है जिसके प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहखातेदार का आधिपत्य व खातेदारी है एवं सहखातेदारी के मध्य माप सीमांकन सहित अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन का राजस्थान राज्य के प्रतिनिधी तहसीलदार की अनुमति से खाते का विधिवत भू–विभाजन नही हुआ है। ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया के वर्तमान खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0. 7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर की आराजी संयुक्त खातेदारी अधिकारो की है। जब तक वादी के सह हिस्सेदार सह खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

से 32 के मध्य खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर का माप सीमांकन सहित भू विभाजन नही हो जाता तब तक इसके प्रत्येक इन्च पर वादी का विधि प्रभाव से हक अधिकार निहीत चला आ रहा है ओर उक्त आराजी पर बिना वादी की सहमति एव अनुमति के प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 17 को उक्त आराजी मे से विशिष्ट हिस्सा दर्शा कर बेचान करने एवं विशिष्ट हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण करने पर आमादा है एवं वादी की सामलाती खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि में काश्त करने एवं अन्य कृषि कार्यो के माध्यम से उपयोग उपभोग करने में बाधाए कारित करने की धमकीया दी जा रही हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 32 उक्त आराजी को संयुक्त रूप से संलग्न परिशिष्ट **"क"** नक्शा अनुसार उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 32 सह खातेदार अभिधारी से वादी अलग खाता विभाजन करवाकर उसी अनुसार कर उसी नक्शा में तरमीम करवा कर अपने नाम से अलग नाम से अलग रकम मालकाना कायम करवाना चाहता है जो जरिये वाद खाता विभाजन डिक्री वास्ते दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद विषयक आराजी के सभी सहखातेदार 1 से 32 की कृषि भूमि संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, विकास कार्य करवाने उपयोग उपभोग में लेने वास्ते वादी के समक्ष बहुत कठिनाईया आती है, इसलिए खाता विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 से 17 बार–बार सह खातेदार अभिधारी वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत एवं दखल करने एवं विशिष्ट हिस्सा दर्शा कर बैचान करने पर उतारू रहते है, प्रतिवादी संख्या 18 विदेश में रहने एवं प्रतिवादी संख्या 18 से 32 सह खातेदार होने एवं प्रतिवादी संख्या 33 तहसीलदार भूमिधारी होने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 34 से 35 हल्का पटवारी एवं उपजियक है जो रेकर्ड सन्धारण एवं दस्तावेज पंजियन करने वाले अधिकारी है तथा विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 36 के पास मुर्तहिन है इसलिए बंटवारे की घोषणा, उक्तानुसार रेकर्ड दुरुस्ती एवं चिर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। वादी ने दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 17 एवं प्रतिवादी 19 से 32 को तहसील कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार कुचामन सिटी के समक्ष उपस्थित होकर खाता विभाजन एवं वादी के हिस्से की 3.32 हैक्टर कृषि भूमि बंटवारा करवाकर अलग खसरा नम्बर नाम करवाने की बात कही तो साथ तहसील कार्यालय हाजिर होने में आनाकानी व टालमटोल व इन्कारी करने लगे प्रतिवादीगण की खाता विभाजन की यह इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। यह कि मौजा यह कि मौजा ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर की सम्वत 2071–2074 की नया खाता संख्या 117 पुराना खाता 105 खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर बलगान रूपये 82.44/– का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 32 के मध्य संलग्न परिशिष्ट **"क"** अनुसार खाता विभाजन करवाने का हकदार है। उक्त अनुतोष की अनुपालना में वादी के खातेदारी व आधिपत्य के क्षेत्रफल 3.32 हैक्टर मुताबिक राजस्व रेकर्ड में वादी के हक हिस्सा में पृथक खाते के रूप में अधिकार अभिलेख जमांबदी वगैरह तथा वादी के रेकर्ड हक हिस्सा 3.32 हैक्टर हिस्सा को माप सीमांकन सहित अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का संलग्न खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर के उपयोग उपभोग लेने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 32 से पृथक कर जमांबदी व राजस्व नक्शे में दर्ज करने एवं वादी को भू–विभाजन के अधिकार प्राप्त हक हिस्से का एनसलेरी अनुतोष के तहत विधिवत आधिपत्य दिलवाये जाने बाबत डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामन सिटी को राजस्व रेकर्ड में विभाजन अनुसार अमल दरामदगी के आदेश व डिक्री सादिर फरमावे। उपर्युक्त अनुतोष की अनुपालनार्थ वादी के खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर मे से प्राप्त 3.32 हैक्टर हिस्से के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट प्रतिनिधी एसाइग्नीज अथवा अन्य माध्यम से ऐसा करावे इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,7,8,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32 की ओर से राजीनामा वादी के साथ दिनॉक 25.01.2017 को प्रस्तुत किया जिनकी पहचान उनके अधिवक्ताओ द्वारा की गई। प्रतिवादी संख्या 5 का वकालतनामा हेतु उनके अधिवक्ता द्वारा समय चाहा तथा किसी प्रकार का जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया, प्रतिवादी सं. 6, 12 15 के अधिवक्ता उपस्थित आये, जिन्होने किसी प्रकार का जवाब इत्यादि प्रस्तुत नही किया, प्रतिवादी संख्या 15,19,25,,38 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 34 कोई जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते, प्रतिवादी संख्या 9.10,11,33,35,36,37 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जिलिया तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 हैक्टर लगान 82.44 रूपये के पूर्ववर्ती सहखातेदारान अभिधारी फकीरा ने अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा 2.29 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 19 से 26 अपने हक हिस्से में से रकबा 1.03 हैक्टर के खातेदारी अधिकार पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये अन्तरित कर दिये है, उक्तानुसार वादी का उक्त सम्पूर्ण 20.62 हैक्टर कृषि भूमि में कुल 3.32 हैक्टर कृषिभूमि के खातेदारी अधिकार व कब्जा निहीत वादी को पंजिकृत विक्रय विलेख के जरिये बेची गयी कृषिभूमि उक्त आराजी मे सहखातेदार अभिधारी प्रतिवादी संख्या 18 से लगायत 26 का शेष हिस्सा 1.26 हैक्टर है, प्रतिवादी 16 व 17 अल्लादेई एवं नूरमोहम्मद का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार रकबा 6.87 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 27 से लगायत 32 का उक्त आराजी में 1/9 भाग होने से रकबा 2.29 हैक्टर हिस्से में आती है, प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 8 तथा सहखातेदार लाल मोहम्मद जिसका देहान्त हो चुका है इसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 से लगायत 12 एवं प्रतिवादी संख्या 13 से लगायत 17 तक का इस आराजी मे सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अनुसार शेष 6.87 हैक्टर आराजी के खातेदारी अधिकार है।उक्त प्रकरण में वादी से प्रतिवादी संख्या 1 से 32 ने वादाधिन संयुक्त खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि के सम्बन्ध में आपसी सहमति से बंटवारा प्रस्तुत किया जो संलग्न नक्शा अनुसार वादी का उक्त सयुंक्त आराजी में से सेपरेट होल्डिंग देने के लिए सहमति दी। ग्राम आसपुरा की वादाधिन कृषिभूमि में से खसरा नम्बर 464 की पूर्वी सीव पर अर्थात सम्पूर्ण खसरा नम्बर 473 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 475 गैर मुमकिन रास्ता की तरफ झाकते हुये 171 फीट भूमि छोडकर उक्त गेर मुमकिन रास्ता की सीव को छुते हुए पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ 297 फीट चौडाई में तथा खसरा नम्बर 464 उत्तरी-पूर्वी दिशा के पडौस मे मौजुद खसरा नम्बर 473 के उत्तरी हिस्सा में पूर्वी सीव से पश्चिम दिशा की तरफ 191 फीट भूमि छोडकर खसरा नम्बर 474 की उत्तरी सीव से पूरब से पश्चिम तरफ 280 फीट भूमि वादी जावेद खां को सेपरेट होल्डिग कायम कर खातेदारी इस अनुरूप वादी जावेद खा को अलग बंटवारे में दी दर्ज कर पृथक खसरा नम्बर व खाता लगान राशि कायम की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 32 का नाम हटा दिया जावे तथा शेष बचे रकबा खसरा नम्बर 474 में वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 32 का खातेदारी में नाम रखा जाकर अलग लगान राशि व खाता कायम कर दिया जाने का कथन अभिलिखत है। ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 418 की दक्षिणी पूर्वी सीव एव खसरा नम्बर 419 की उत्तरी-पूर्वी सीव में खसरा नम्बर 296 की सीव से पूरब से पश्चिम भूजा 500 फीट चौडी एवं उत्तर से दक्षिणी भूजा 487 फीट लम्बाई के मध्य की कृषि भूमि पर वादी जावेद खान की सेपरेट होल्डिग की खातेदारी कायम की जाकर अलग खाता खसरा नम्बर व लगान कायम की जाकर उक्त हिस्से की कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 32 की खातेदारी समाप्त की जाकर इसमें से शेष बचे हुए खसरा नम्बर 418 व 419 के रकबे में वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 32 का नाम दर्ज कर पृथक खाता व लगान निर्धारित किया जाना अंकित किया है। ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर कृषिभूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 32 की सेपरेट होल्डिग की खातेदारी में दर्ज की जाकर उक्त आराजी मे वादी जावेद खान के नाम की प्रविष्टि हटा दी जावे। संलग्न नक्शा अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 32 के मध्य वादाधिन कृषि भूमि का विधिवत भू विभाजन कर नक्शे में वर्णित अनुसार सहखातेदारो के हक हिस्से की सेपरेट होल्डिंग में खातेदारी दर्ज की जाकर लगान व खाते का विभाजन कर राजस्व नक्शे में उक्तानुसार अंकन दर्ज करने की बंटवारे की डिक्री सादिर फरमाने तथ्य अंकित है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान वादी वकील ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि पक्षकारान के पारिवारिक सदस्य मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. लाल मोहम्मद एवं सरवर पुत्र स्व. कालू का नाम सहवन से संयोजन करने से रह गया, जिन्हे प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान करावे, प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर मोहम्मद हनीफ एवं सरवर को प्रतिवादी पक्षकार वाद में संयोजित किये गये।

जमाबन्दी नकल सम्वत 2071–2074 ग्राम आसपुरा के 418 रकबा 7.2800 हैक्टर, बारानी 2, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.5500 हैक्टर बारानी 2, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.7200 हैक्टर खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन खसरा नम्बर 477 रकबा 0.3100 हैक्टर रकबा 553/472 रकबा 0.7500 हैक्टर बारानी 2 कुल क्षेत्रफल 20.62 में लिछमा पत्नी रोशनअली मो.शफी अयूब सहाबुदीन महबूब चान्द बाबू रफीक पि. रोशनअली कौम मुसलमान बफाती पुत्र मुस्तफा लाल मोहम्मद पुत्र इब्राहीम शौकतअली रूस्तम फारूख पि. यासीनअली सा. कुचामनसिटी सरीफन पत्नी कालू सरवर नूरहसन नसरूदीन मस्तान रमजान अजीज हाजी याकूब जावेद पि. कालू सुबराती फकीरा पि. समसु कौम मुसलमान सा. कुचामन खातेदार राहिन सरीफन पत्नी कालू सरवर नूरहसन नसरूदीन मस्तान रमजान अजीज हाजी याकूब जावेद पि. कालू का हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया मूर्तहीन ना.स.601,603। विरासत व हक त्याग नामा, सं. 682 दिनॉक 21.03.2016 के द्वारा बफाती (फौत) के स्थान पर अलादेई पत्नी बफाती नूरमोहम्मद पुत्र बफाती कौम मुसलमान कुचामनसिटी खातेदार दर्ज किया गया, बेचान नामा. सं. 691 दिनॉक 20.05.16 के द्वारा जरिए मुख्त्यार जान मोहम्मद पुत्र फकीरा द्वारा बेचान करने पर फकीरा पुत्र समसु के स्थान पर जावेद खान पुत्र याकूब खॉ जाति कायमखानी मुसलमान सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज किया गया, विरासत नामा.699 दिनॉक 20.7.16 के द्वारा सुबराती (फौत) के स्थान पर मंगतुदीन ईस्लामुदीन रहीम न्याज मोहम्मद पि. सुबराती मुमताज मदीना पुत्रिया सुबराती जाति मुसलमान सा. कुचामनसिटी दर्ज, विरासत नामा.सं.703 दिनॉक 05.08.16 के द्वारा लालमोहम्मद पुत्र इब्राहीम (फौत) के स्थान पर मुन्ना शेख,उमर शेख, मो.हनीफ शेख, अब्दुल रजाक शेख, सलीम शेख पि. लालमोहम्मद रहमात बानो न्यामतबानो मदीना पुत्रिया लालमोहम्मद कौम मुसलमान सा. कुचामनसिटी, हक त्याग नामा. सं. 704 दि. 05.08.16 के द्वारा हक त्याग से रहमत बानो न्यामत बानो मदीना पुत्रिया लालमोहम्मद के स्थान पर मुन्ना शेख,उमर शेख, मो.हनीफ शेख, अब्दुल रजाक शेख, सलीम शेख पि. लालमोहम्मद जाति मुसलमान कुचामनसिटी दर्ज किया गया। बेचाननामा दस्तावेज संख्या 2016001591 दिनॉक 27.04.2016 अनुसार जान मोहम्मद पुत्र फकीरा उर्फ फकीर मोहम्मद जाति शेख इलाही ने जरिये आम मुख्त्यारनामा फकीरा पुत्र समसू शेख का हिस्सा सम्पूर्ण उपरोक्त खसरान की भूमि में से जावेद खान पुत्र याकूब खॉ जाति कायमखानी को बेचान किया गया जो लगभग 2.2911 हैक्टर भूमि बनती है। बेचान दस्तावेज संख्या 2016002296 दिनॉक 17.06.2016 अनुसार खातेदार सरीफन पत्नी कालू सरवर नूरहसन नसरूदीन रमजान अजीज हाजी याकूब जावेद पुत्रान कालू जाति समस्त मुसलमान कुचामनसिटी ने उक्त खसरा नम्बर 418, 419, 474, 476, 477

उपखण्ड अधिकारी
एवं ... सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

533/472 मे से 1.03099 हैक्टर का बेचान जावेद पुत्र याकूब खान जाति कायमखानी निवासी कुचामनसिटी को किया गया है। पक्षकारान प्रतिवादीगण 1 से 32, 37 38 एक ही परिवार के सदस्य है जिसके अनुसार ईमामबक्ष पुत्र हुसैनबगस के पुत्र मुस्तफा, समसु, इब्राहीम हुए। जिनमे तीनो के 20.62 हैक्टर में 1/3 के हिसाब से प्रत्येक के हक हिस्से की भूमि 6.8733 हैक्टर भूमि आती है। **बफाती (6.8734)** की मृत्यु के पश्चात अलादेई पत्नि बफाती एवं नूर मोहम्मद पुत्र बफाती हुए तथा **समसु (6.8733)** की मृत्यु पश्चात उनके तीन पुत्र कालू सुबराती एवं फकीरा हुए, जिनमे कालू की मृत्यु होने पर उसके वारिसान सरीफन सरवर नूरहसन नसरूदीन मस्तान रमजान अजीज हाजी याकुब जावेद हुए एवं सुबराती की मृत्यु होने पर उसके वारिस मंगतुदीन इस्लामुदीन रहीम न्याजमोहम्मद मुमताज (पुत्री) मदीना (पुत्री) हुए। **इब्राहीम (6.8734)** की मृत्यु पर उसके पुत्र यासीन लालमोहम्मद रोशनअली हुए तथा तीनो की मृत्य होने पर यासीन के वारिसान शौकतअली रूस्तम फारूख हुए, लालमोहम्मद की मृत्यु होने पर उसके वारिसान उमरशेख मो.हनीफ रजाक मुन्ना सलीम हुए, रोशनअली की मृत्यु होने पर उसके वारिसान लिछमा (पत्नी) अयूब शहाबुदीन महबूब चांद रफीक शफीक बाबू हुए। इनमें से कालू के वारिसान द्वारा भूमि वादी जावेद को 1.03099 हैक्टर बेचान करने पर उनके हक हिस्से की शेष भूमि 1.26011 रही। फकीरा का हिस्सा 2.2911 हैक्टर वादी जावेद को बेचान किया गया है इस प्रकार जावेद का हक हिस्सा 3.32209 हैक्टर बनता है। यासीन के वारिसान का हक हिस्सा 2.2911 हैक्टर, लालमोहम्मद के वारिसान का हक हिस्सा 2.2911 हैक्टर, रोशनअली के वारिसान का 2.2911 हैक्टर हिस्सा बनता है। प्रकरण राजीनामा का होने से उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ के निवेदन पर राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखे जाने का निवेदन किया। पक्षकारान की सुनवाई लोक अदालत में की गई, पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिकांशतया पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनाम प्रस्तुत किया है। राजीनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा अपना अपना हिस्सा पूर्ण रूप से स्पष्ट नही किया है जिससे पक्षकारान को किस तरफ कितना हिस्सा दिया जाना है स्पष्ट नही किया है केवल वादी के हितो का ध्यान में रखते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा अन्य किसी भी पक्षकारान को किस किस तरफ कितना एवं कौन कौनसे खसरे में कितना रकबा दिया जाना है स्पष्ट नही है, अतः वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी के हिस्से तक का काबिल डिक्री पाया गया है, जो निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

आसपुरा तह. ६

वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 418 रकबा 7.28 हैक्टर मे से 1.81729 हैक्टर, खसरा नम्बर 419 रकबा 9.55 हैक्टर में से 0.3717 हैक्टर, खसरा नम्बर 474 रकबा 2.72 हैक्टर मे से 1.1331 हैक्टर कुल रकबा 3.32209 हैक्टर का राजीनामा के साथ प्रस्तुत लाल स्याही से अंकित हिस्से पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा नम्बरान एवं शेष रकबे मे से वादी का नाम हटाया जाता है। खसरा नम्बर 418, 419, 474, के शेष रकबे 16.22791 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 476 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 533/472 रकबा 0.75 हैक्टर कुल रकबा 17.29791 हैक्टर में प्रतिवादी लिछमा पत्नी रोशनअली मो.शफी अयूब सहाबुदीन महबूब चान्द बाबू रफीक पि. रोशनअली कौम मुसलमान को 2.2911 हैक्टर, प्रतिवादी अलादेई पत्नी बफाती नूरमोहम्मद पुत्र बफाती कौम मुसलमान को 6.8734 हैक्टर, प्रतिवादी मुन्ना

उपखण्ड अधिकारी
एवं न्याय सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

शेख,उमर शेख, मो.हनीफ शेख, अब्दुल रजाक शेख, सलीम शेख पि. लालमोहम्मद जाति मुसलमान को 2.2911 हैक्टर, प्रतिवादी शौकतअली रूस्तम फारूख पि. यासीनअली सा. को 2.2911 हैक्टर, प्रतिवादी सरीफन पत्नी कालू सरवर नूरहसन नसरूदीन मस्तान रमजान अजीज हाजी याकूब जावेद पि. कालू को 1.26011 हैक्टर, प्रतिवादी मंगतुदीन ईस्लामुदीन रहीम न्याज मोहम्मद पि. सुबराती मुमताज मदीना पुत्रिया सुबराती जाति मुसलमान को 2.2911 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सरीफन पत्नी कालू सरवर नूरहसन नसरूदीन मस्तान रमजान अजीज हाजी याकूब जावेद पि. कालू का हिस्सा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया मूर्लहीन रहेगा। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 11/11/18 को राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
कुचामन सिटी (नागौर)